विधानसभा / महत्वपूर्ण

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, mail id- dirfood.cg@gov.in, website- https://fcs.cg.gov.in/)

क्रमांक 93 / संचा.–वि.स. / 2025 नवा रायपुर, दिनांक 01/07/ 2025

प्रति,

1 **प्रबंध संचालक,**
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.
अटल नगर, नवा रायपुर

2 **प्रबंध संचालक,**
राज्य नागरिक आपूर्ति निगम,
अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग.

3 **प्रबंध संचालक,**
अपेक्स बैंक,
अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग.

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :– विधानसभा प्रश्न क्रमांक 759 अतारांकित द्वारा श्री ओंकार साहू, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

---00---

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 759 अतारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर **'यूनिकोड फॉन्ट'** में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) **दिनांक 03.07.2025 तक** ई–मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें।

(विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते है)।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

पृ.क्रमांक 94 / संचा.–वि.स. / 2025 नवा रायपुर, दिनांक 01/07/ 2025

प्रतिलिपि :–

समस्त खाद्य नियंत्रक / खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ की ओर प्रेषित कर, आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय–सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **11/07/2025**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **18/07/2025** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **कस्टम मिलिंग (अरवा) अंतर्गत मिलर्स को आवंटित धान तथा व्यय राशि**

(**अतारांकित** प्रश्न क्रमांक : **759**) **श्रीओंकार साहू**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) विगत पांच वित्तीय वर्षों (वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक) में कस्टम मिलिंग (अरवा) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत राइस मिलर्स को नान के माध्यम से कितनी मात्रा में धान का आवंटन किया गया है? कृपया जिलेवार एवं वर्षवार विवरण प्रदान किया जाए। (ख) उपरोक्त अवधि में कस्टम मिलिंग (अरवा) प्रक्रिया हेतु प्रति क्विंटल धान पर औसतन राज्य शासन द्वारा वहन की जाने वाली कुल राशि (जैसे – मिलिंग शुल्क, परिवहन, भंडारण, पालिशिंग, बोरों की लागत, अन्य संचालन व्यय आदि) की जानकारी वर्षवार प्रस्तुत किया जाए। (ग) उक्त योजना के अंतर्गत वास्तविक चावल उत्पादन लागत एवं मिलर्स को दिए गए भुगतान में क्या कोई अंतर पाया गया है? यदि हाँ, तो उसका विवरण एवं कारण प्रस्तुत किया जाए। (घ) क्या धान अधिप्राप्ति में धान के अनुपात में वास्तविक चावल की रिकवरी के संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता या शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो जांच रिपोर्ट एवं की गई कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया जाए।

Sent From : vidhan | **Sent Date :** 01/07/2025 11:26:01 |

Remark :

समस्त कले०
नान
मार्कफेड, अपेक्स बैंक